न्यायालय अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी – उम्मेदी लाल मीना आर.ए.एस

अपील सं. 46 / 2022

संदीप सिह पुत्र श्री जवाहर सिह जाति अराई निवासी गली नम्बर 13, नजदीक जसन डेयरी, औलख नगर, मुलतानिया रोड, बठिण्डा तहसील व जिला बठिण्डा (पंजाब)

अपीलांट

बनाम

1 तहसीलदार (राजस्व), संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ (राज0)।

2 शेराराम पुत्र भूराराम जाति धानक निवासी मानकसर तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ (राज0)।

3 जगदीश पुत्र भूराराम जाति धानक निवासी मानकसर तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ (राज0)।

असल रेस्पोडेन्टान

4 तरसेम सिह पुत्र हरी सिंह जाति अराई निवासी मानकसर तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ (राज0)।

5. ईशर सिंह पुत्र हरी सिंह जाति अराई निवासी मानकसर तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ (राज0)।

6. हरमीत सिंह पुत्र जवाहर सिंह जाति अराई निवासी मानकसर तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ (राज0)।

तरतीबी रेस्पोडेन्टान

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्व निर्णय दिनांक 31.10.2022 व 01.11.2022 तहसीलदार (राजस्व) संगरिया, प्रकरण संख्या 01 / 2022, अनवानी शेराराम आदि बनाम तरसेम सिह आदि, जिसकी रूह से प्रार्थना पत्र रेस्पोडेन्ट सख्या 2 व 3 स्वीकार किया गया । वास्ते करने मन्सुख उपरोक्त निर्णय दिनांक 31.10.2022 व 01.11.2022

उपस्थित:– 1. श्री महेन्द्रसिंह संधू, खुशप्रीतसिंह संधू अभिभाषक अपीलांट।
2. श्री प्रदुमन परमार, रामपाल अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं0 02 व 03
3. श्री शिवराज सिंह बराड़ राजकीय अभिभाषक।

–:निर्णय:–

दिनांक:–21.05.2024

अपील के तथ्य इस प्रकार से है कि रेस्पोडेन्ट सख्या 2 व 3 द्वारा तहसीलदार (राजस्व) संगरिया के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183 बी आरटीएक्ट पेश किया कि रेस्पोडेन्ट सख्या 2 व 3 की कृषि भूमि से कब्जा हटवाया जावे, जिस पर रिपोर्ट पटवारी ली गई तथा रेस्पोडेन्ट सख्या 4 व 5 द्वारा हाजिर आकर धारा 10 सीपीसी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया तथा धारा 10 सीपीसी का ... खारिज किया जाकर बिना अपीलान्ट की तलबी व जवाब ... जिसे अपीलान्ट निम्न आधारो पर चुनौती देता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Umedi Lal Meena
Date: 2024.05.23 17:07:55 IST
Reason: SelfAttested

विचारणीय न्यायालय के समक्ष जेरकार प्रकरण बाबत अपीलान्ट के पास कभी कोई तामिल लेकर नही आया। रेस्पोडेन्ट सख्या 2 व 3 द्वारा अपीलान्ट के गलत व अधूरे पता देकर जानबूझकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। अपीलान्ट के विरूद्व सी.पी.सी. के प्रावधानो के विपरित जाकर एकपक्षीय आदेश पारित किया गया, जबकि अपीलान्ट के समक्ष कभी कोई तामिल कुनिन्दा तामिल लेकर नही आया। अपीलान्ट की तामिल हेतु

अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ

जारी सम्मन पर यह टिप्पणी आई है कि अपीलान्ट बठिण्डा में निवास करता है। विचारणीय न्यायालय द्वारा टिप्पणी के अनुसरण में अपीलान्ट के सही पता पर तामिल करवाई जानी थी परन्तु विचारणीय न्यायालय द्वारा अपीलान्ट की तामिल नही करवाकर सीधा ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है। प्रकृति के न्यायिक सिद्वान्तो के अनुसार किसी भी पक्ष के विरूद्ध कोई आदेश पारित करने से पूर्व उसे सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाना आवश्यक है। रेस्पोडेन्ट सख्या 2 व 3 द्वारा दुर्भिसंधि कर अपीलाधीन आदेश पारित करवाया। वादग्रस्त आराजी बाबत सहायक कलैक्टर, संगरिया के समक्ष प्रकरण संख्या 51/2022, ईशर सिह आदि बनाम गुरदेव सिह आदि जैरकार था तथा उक्त प्रकरण के जैरकार रहते अपीलाधीन प्रकरण में किसी प्रकार का आदेश पारित नही किया जा सकता। विचारणीय न्यायालय के समक्ष प्रकरण संख्या 51 / 2022 के बाबत धारा 10 सीपीसी का प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया हुआ था परन्तु विचारणीय न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण के जैरकार रहते हुए भी अपीलाधीन प्रकरण की कार्यवाही स्थगित नही की गई तथा धारा 10 सीपीसी का प्रार्थना पत्र खारिज करने के साथ ही अपीलाधीन आदेश जवाबदेही लिये बिना व अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट सख्या 4 ता 6 की बहस सुने बिना ही विधिक प्रक्रिया अपनाये बिना अपीलाधीन निर्णय पारित किया होने के कारण प्रथम दृष्टया ही खारिज होने योग्य है।

अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 4 ता 6 हरी सिह पुत्र उदयराम के वारिसान है तथा सिलिंग प्रकरण में गुरदेव सिंह पुत्र उदयराम की कृषि भूमि आई थी परन्तु गुरदेव सिंह अकेले के खाते से भूमि कम न कर राजस्व कर्मचारीयों द्वारा सहवन से गुरदेव सिंह व हरी सिंह की बहिस्सा बराबर भूमि कम कर दी, जिस बाबत अपीलान्ट को जानकारी होते ही उनके द्वारा माननीय सहायक कलैक्टर, संगरिया के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो जैरकार है तथा सिलिंग में अपीलान्ट या अपीलान्ट के पूर्वज हरी सिंह की आराजी कभी नही आई परन्तु विचारणीय न्यायालय द्वारा इस ओर ध्यान ना देकर कानूनी भूल की है। लगभग 60-70 वर्ष से वादग्रस्त आराजी उसके व धारण में निरन्तरं चली आ रही थी। हरी सिंह की मृत्यु के पूर्वज हरी सिंह के आधिपत्य उपरान्त वादग्रस्त आराजी उनके वारिसान के आधिपत्य व धारण में चली आ रही है तथा हरी सिंह की आराजी कभी सिलिंग सीमा में नही आई व इतने लम्बे अर्से उपरान्त धारा 183 बी आरटीएक्ट का प्रार्थना पत्र मियाद बाहर होने के कारण पोषणीय नही था परन्तु विचारणीय न्यायालय द्वारा इन तथ्यों की ओर ध्यान ना देकर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो अपास्त किये जाने योग्य है। विचारणीय न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश बहस सुने बिना आनन फानन में पारित किया है जिसमें हस्ताक्षरो में पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर के साथ दिनांक 31.10.2022 अंकित है तथा पृष्ठ के उपर छोर पर दिनांक 01.11.2022 अंकित है, इससे यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि विचारणीय न्यायालय द्वारा बिना विधिक प्रक्रिया का पालन किये आनन फानन मे अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, इस कारण अपीलाधीन आदेश अपास्त किये जाने योग्य है। अपीलाधीन आदेश में यह अंकित किया है कि गैर खातेदारी बाबत नामान्तरण 1977 में तथा सनद जारी होने उपरान्त नामान्तरण सन् 1993 में हुआ परन्तु वादग्रस्त 16 बिस्वा आराजी अपीलान्ट व अपीलान्ट के पूर्वजो के आधिपत्य व धारण में चली आ रही है तथा कब्जे के बिना कानूनन सनद जारी नही हो सकती परन्तु विचारणीय न्यायालय द्वारा इन तथ्यों की ओर ध्यान ना देकर कानूनी भूल की है। अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट सख्या 4 ता 6 के आधिपत्य व धारण की आराजी जो अपीलाधीन प्रकरण के विधि विरूद्ध आदेश दिनांक 31.10.2022 व 01.11.2022 के अनुसरण में रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 को काबिज करवाने पर उतारू है। अपीलान्ट इस अमर की अस्थाई निषेधाज्ञा रेस्पोडेन्ट सख्या 1 ता 3 के विरूद्ध प्राप्त करने का अधिकारी है कि रेस्पोडेन्ट सख्या 1 ता 3, चक 18 एमकेएस के पत्थर नम्बर 158 / 232 (40) किला नम्बर 3/1/.190, 2/2/.012 कुल .202 हैक्टेयर में

Signature Not Verified
Digitally signed by Umedi Lal Meena
Date: 2024.05.23 17:07:55 IST
Reason: SelfAttested

अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ़

अपीलान्ट के आधिपत्य व धारण मे हस्तक्षेप करने से ममनु व बाज रहे तथा वादग्रस्त आराजी को रहन, बैय आदि द्वारा अन्तरित करने से निषिद्ध रहे तथा वादग्रस्त आराजी बाबत मौका एंव रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे तथा अपीलाधीन आदेश दिनांक 31.10.2022 व 01.11.2022 प्रकरण संख्या 01 / 2022, बअनवानी शेराराम आदि बनाम तरसेम सिह आदि की क्रियान्वति स्थगत फरमाई जावे। स्थगन हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी मय शपथ पत्र शामिल अपील है।

रेस्पोडेन्ट सख्या 4 ता 6 के हित भी अपीलान्ट के समान है, जिनके आज हाजिर अदालत नही होने के कारण उन्हे बतौर तरतीबी रेस्पोडेन्ट पक्षकार बनाया गया है, यदि भविष्य मे रेस्पोडेन्ट सख्या 4 ता 6 उक्त अपील में बतौर अपीलान्ट पक्षकार संयोजित होना चाहे तो मुझ अपीलान्ट को कोई आपति नही है। अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर माननीय अधिनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन निर्णय दिनांक 31.10.2022 व 01.11.2022 को अपास्त किया जावे।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट की तलबी की गयी। रेस्पोडेन्ट 01 की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित आये। रेस्पोडेन्ट सं0 02 की ओर से श्री प्रदुमन परमार व 03 की ओर से रामपाल अधिवक्ता द्वारा वकालतनामा पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन रिकार्ड तलब कर शामिल पत्रावली किया गया।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी। दौराने बहस अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलान्ट के विरूद्व सी.पी.सी. के प्रावधानो के विपरित जाकर एकपक्षीय आदेश पारित किया गया, जबकि अपीलान्ट के समक्ष कभी कोई तामिल कुनिन्दा तामिल लेकर नही आया। अपीलान्ट की तामिल हेतु जारी सम्मन पर यह टिप्पणी आई है कि अपीलान्ट बठिण्डा में निवास करता है। विचारणीय न्यायालय द्वारा टिप्पणी के अनुसरण में अपीलान्ट के सही पता पर तामिल करवाई जानी थी परन्तु विचारणीय न्यायालय द्वारा अपीलान्ट की तामिल नही करवाकर सीधा ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है। प्रकृति के न्यायिक सिद्वान्तो के अनुसार किसी भी पक्ष के विरूद्ध कोई आदेश पारित करने से पूर्व उसे सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाना आवश्यक है। अपीलाधीन निर्णय दिनांक 31.10.2022 व 01.11.2022 को अपास्त किया जाकर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। बहस के समर्थन निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

1. 2008 DNJ (SC) 359 SUPREME COURT OF INDIA
2. Chunni Bai Vs Ramaram & ors.(105)
3. 2009 (3) DNJ (Raj.) 1402 Rajasthan High Court.
4. A.I.R. 2005 S.C Page 626
5. RRD 2014 Dasa Ram & ors. vs Butta Ram & ors. (50)

अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ़ (राज0)

अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं0 02 व 03 ने अपनी बहस में कथन किये कि मेरे पिता भूराराम को 04.06.1967 को आराजी आवंटन व सनद जारी हुई। 183 बी में लिमिटेशन नहीं है। उक्त भूमि पर लम्बे समय से कब्जा बाबत कोई दस्तावेज पेश नहीं किये है। विचारणीय न्यायालय द्वारा अपीलान्ट की तामिल विधिपूर्वक करवाकर अपीलाधीन आदेश पारित किया है। कब्जा विधिपूर्ण नहीं था। अन्य सहखातेदारों को प्रीयर सूचना थी। माननीय सहायक कलैक्टर, संगरिया के समक्ष वि... प्रकरण में जैरकार कोई भी उक्त भूमि पर स्थगन नहीं है। अतः ... की अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर माननीय अधिनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन निर्णय दिनांक 31.10.2022 व 01.11.2022 को यथावत रखे जाने का निवेदन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Umedi Lal Meena
Date: 2024.05.23 17:07:55 IST
Reason: SelfAttested

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया, पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया और उदघृत न्यायिक नजरों पर मनन किया गया।

अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ़

1. अपीलान्ट संदीप सिंह पुत्र जवाहर सिंह की तामिल हेतु जारी सम्मन पर टिप्पणी आई कि अपीलान्ट बठिण्डा में निवास करता है। परन्तु तहसीलदार संगरिया द्वारा अपीलान्ट की तामिल नही करवाकर सीधा ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है। धारा 10 सीपीसी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाकर बिना अपीलान्ट की तलबी व जवाब देही बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया।

2. तलबी के संबंध में माननीय न्यायालयों द्वारा निम्न मत प्रतिपादित किये गये हैं।

2008 DNJ (SC) 359 SUPREME COURT OF INDIA

"Civil Procedure Code, 1908 (O9R13)— Passing of the ex-parte decree for want of service of notice-Non service of notice was sufficient reason for setting aside the ex-parte decree-Orders of Courts below are set aside"

Chenai Bai Vs Ramaram & ors.&(105)

"Held-No proper service of notice was made on defendants, decision of RAA factually and legally sound-Second appeal devoid of force."

उक्त विवेचना के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। तहसीलदार (राजस्व) संगरिया का आदेश दिनांक 01.11.2022 विधि अनुसार नहीं होने के कारण अपास्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार (राजस्व) संगरिया जिला हनुमानगढ़ को इस निर्देश के साथ प्रेतिप्रेषित (रिमाण्ड) किया जाता है कि प्रकरण में समुचित तामील करवाकर विधि अनुसार 30 दिवस में पुनः निर्णय पारित करें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर की जावे।

निर्णय आज दिनांक 21.05.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

21/5/2024

(उम्मेदी लाल मीना)
अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ़

अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ़

अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ़ (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Umedi Lal Meena
Date: 2024.05.23 17:07:55 IST
Reason: SelfAttested